



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2013/श्रावण 4, 1935

No. 1740]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2013/SHRAVANA 4, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2013

का. आ. 2288(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(i) क्रम सं. 9 के सामने, स्तंभ सं (3) में, मद (1) और मद (2) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) श्री ललित कुमार ठाकुर

(2) श्री इंद्रजीत सेन”;

(ii) क्रम सं 12 के सामने, स्तंभ सं (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“मैसर्स होसाईजन सर्विसेज (इन्वायरनमेंटल एंड सेफ्टी), श्री के 3/4, एस. सं 10, इरेंडवेन हाऊसिंग सोसाइटी, दीनानाथ मंगेशकर चिकित्सालय के सामने, पुणे - 411004 (महाराष्ट्र)”;

(iii) क्रम सं 16 के सामने, स्तंभ सं. (3) में, मद (1) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) श्री राहुल लक्ष्मण पाटिल”;

(iv) क्रम सं 22 के सामने, स्तंभ सं 0 (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“मै 0 प्रिंसिटेक लैबोरेट्रिज प्राइवेट लिमिटेड, वाणिज्यिक प्लाट सं 0 सी-5/27, जी.आई.डी.सी. इस्टेट भानुजोत परिसर, प्रथम तल, ओरियंटल बीमा कं 0 के सामने, जी.आई.डी.सी. चार रास्ता के निकट, वापी-396195, जिला वलसाद (गुजरात)”;

(v) क्रम सं० 72 के सामने, स्तंभ सं (3) में, मद (1) और मद (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) श्री डी०आर० रसाल

(2) प्रो० जी०एस०सी० अंबादास”;

(vi) क्रम सं० 79 के सामने, स्तंभ सं (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“मै० एस.वी. इनवायरो लेब्स एंड कंसल्टेंट्स, बी.1, ब्लॉक-बी, आई.डी.ए. आटो नगर, विशाखापट्टनम - 530012 (आंध्र प्रदेश)”;

(vii) क्रम सं० 87 के सामने, स्तंभ सं (3) में, मद (1) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) श्री जयेश पटेल”;

(viii) क्रम सं० 92 के सामने, स्तंभ सं (3) में, मद (1) और मद (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) श्री शिवानंद एम. डम्बल

(2) डॉ० के०जी० सिदालिगेश्वर”।

[फा. सं. क्यू.15018/7/2003-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ० रशीद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में सं. का.आ. 1174 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904 (अ), तारीख 8 दिसंबर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ. 1537(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ. 1754(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011, का.आ. 2609(अ), तारीख 22 नवंबर, 2011, का.आ. 264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2012, का.आ. 1150(अ), तारीख 22 मई, 2012, का.आ. 2039(अ), तारीख 5 सितंबर, 2012, का.आ. 2802(अ), तारीख 27 नवंबर, 2012 और का.आ. 2850(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012 तथा का.आ. 592(अ), तारीख 8 मार्च, 2013, का.आ. 945(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2013

S.O. 2288(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :-

2. In the Table to the said notification,—

(i) against serial No. 9, in column No (3), for items (1) and (2) and entries relating thereto the following items and entries shall be substituted, namely:—

“(1) Mr. Lalit Kumar Thakur

(2) Mr. Indrajit Sen ”;

(ii) against serial No. 12, in column No.(2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

- " M/s Horizon Services (Environmental and Safety), Shree K 3/4 , S.No.10, Erandawane Housing Society, Opposite Deenanath mangeshkar Hospital, Pune-411004 (Maharashtra)" ;
- (i) against serial No.16, in column No.3, for item (1) and entry relating thereto the following item and entry shall be substituted,
namely:—
“(1) Mr. Rahul Laxman Patil ”;
- (ii) against serial No.22, in column No.(2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
" M/s Precitech Laboratories Pvt. Ltd., Commercial Plot No. C-5/27, GIDC Estate Bhanujyot Complex, 1st Floor, Opp. Oriental Insurance Co. Near GIDC Char Rasta, Vapi - 396195 District - Valsad (Gujarat) ”;
- (iii) against serial No.72, in column No.3, for items (1) and (3) and entries relating thereto the following items and entries shall be substituted, namely:—
“(1) Mr. D.R. Rasal
(3) Prof. G.S.C. Ambadas ”.
- (vi) against serial No. 79, in column No.(2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
" M/s SV Enviro Labs & Consultants, B1, Block-B, IDA Auto Nagar, Visakapatnam - 530012 (Andhra Pradesh) ”;
- (vii) against serial No.87, in column No (3), for item (1) and entry thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:—
" (i) Mr. Jayesh Patel ”;
- (iv) against serial No.92, in column No.(3), for item (1) and (3) and entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:—
" (1) Mr. Shivanand M Dambal
(3) Dr. K.G. Siddalingeswar ”;

[F.No.Q.15018/7/2003-CPW]
Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O.1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O.55(E), dated 9th January, 2008, S.O.428(E), dated the 4th March, 2008, S.O.865(E) dated the 11th April, 2008, S.O.1894(E) dated the 31st July, 2008, S.O.2728(E) dated the 25th November, 2008, S.O.1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O.1802(E) dated the 22nd July, 2009 and S.O.2399(E), dated the 18th September, 2009, S.O.3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O.3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O.No.142(E), dated the 21st January, 2010, S.O.619(E), 19th March, 2010, S.O.1662(E) dated the 13th July, 2010, S.O.2390(E) dated the 30th September, 2010, S.O.2904(E), dated the 8th December, 2010, S.O.181(E) dated the 28th January, 2011, S.O. 692(E), dated the 5th April, 2011, S.O.1537(E), dated the 6th July, 2011, S.O.1754(E), dated the 28th July, 2011 S.O.2609 (E) dated the 22nd November, 2011, S.O.264 (E) dated the 13 February, 2012, S.O.1150(E), dated the 22nd May, 2012, S.O.2039(E), dated the 5th September, 2012, S.O. 2802(E) dated the 27th November, 2012 and S.O. 2850(E) dated the 7th December, 2012 and S.O. 592 (E) dated the 8th March, 2013 and S.O. 945 (E) dated the 8th April, 2013.